न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 291/2022

रामोतार मीणा पुत्र स्व0 बी0आर0 मीणा, निवासी ग्रा0पो0 भडौन्दा खुर्द, तहसील व जिला झुंझुनूं, पिनकोड 333024, मो0न0 9983644723

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 12.09.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 30.08.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 291/2022 पर दिनांक 30.08.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/4598–99 दिनांक 30.08.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/22/1165 दिनांक 07.09.2022 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्री रामोतार मीणा पुत्र स्व0 बी0आर0 मीणा, निवासी भडून्दा खुर्द, तहसील व जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 03.08.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू0अ0/09/309 दिनांक 03.08.2022 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कार्यालय हाजा को नियमानुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कार्यालय हाजा ने अपने पत्र क्रमांक 3626 दिनांक 25.08.2022 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित करते हुए अवगत करवाया कि आप द्वारा कार्यालय मे आपके द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संबंध मे विचाराधीन पत्रावली के संबंध मे उक्त पत्रावली की कार्यालय टिप्पणी/आर्डरसीट की सूचना चाही गई है। कार्यालय टिप्पणी/आर्डरसीट की प्रति कार्यालय की गोपनीयता भंग होने के कारण दिया जाना संभव नही है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं द्वारा पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/22/1165 दिनांक 07.09.2022 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्री रामोतार मीणा पुत्र स्व0 बी0आर0 मीणा, निवासी भडून्दा खुर्द, तहसील व जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 03.08.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू0अ0/09/309 दिनांक 03.08.2022 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कार्यालय हाजा को नियमानुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कार्यालय हाजा ने अपने पत्र क्रमांक 3626 दिनांक 25.08.2022 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित करते हुए अवगत करवाया कि आप द्वारा कार्यालय मे आपके द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संबंध मे विचाराधीन पत्रावली के संबंध मे उक्त पत्रावली की कार्यालय टिप्पणी/आर्डरसीट की सूचना चाही गई है। कार्यालय टिप्पणी/आर्डरसीट की प्रति कार्यालय की गोपनीयता भंग होने के कारण दिया जाना संभव नही है। चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अ[illegible] सकती है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनु[illegible]य हाजा को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचना उसे 7 दिवस मे [illegible] सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया ज[illegible] कि आप इसकी [illegible] अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 12.[illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.09.21 15:07:07 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं